वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 01.06.2025

वीडीए ने तोड़ी अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा के निर्देश पर अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि चौबेपुर के बराईपुर गांव में भक्ति नारायण सिंह वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए छह बीघा में अवैध प्लाटिंग कर रहे थे।

बुलडोजर से बाउंड्री को तोड़ने के साथ कालोनाइजर को दोबारा प्लाटिंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

न्यायाधीश–दि0 01.06.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सारनाथ, के अंतगर्त भक्ति नारायण सिंह द्वारा मौजा-बराईपुर, थाना - चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 6 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया त अतः आज दिनांक 31/05/2025 को अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।